राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (46) वन/2023 जयपुर, दिनांकः—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.1494 ha of forest land for Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N77° 1' 3.304" E , total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha. (Length and area in Forest is 03.32 . KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020) .

संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 14 (380/35)2020/एफसीए/प्रमुवस/3460 दिनांक 18.10.2022 ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/44022/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 में जिला करौली **existing road from Gudla to Karauli** हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फाइवर केबल लाईन बिछाने बाबत कुल **0.1494 है0** वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा—निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1494 ha of forest land for Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N77° 1' 3.304" E , total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha. (Length and area in Forest is 03.32 . KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020) की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 10:10:34 IST
Reason: Approved

9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गय दिशा–निर्देशों की अनुपालना करे।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. उप वन संरक्षक, करौली।
6. महाप्रबन्धक, जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर आनन्द भवन, एससी रोड जयपुर–302001
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 10:10:34 IST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4201012_1250850037766363389.docx
RajKaj Ref No. : 4201012